

पत्र संख्या- ७६(१०५० को।०) तिंकाक - २५/०३/२०२०

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(पशुपालन)

प्रेषक,

डॉ० एन० सरवण कुमार, भा०प्र०स०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

सभी पुलिस अधीक्षक,

बिहार।

विषय :- पशु/पक्षी तथा मछलियों के चारा/दाना के आवागमन में हो रही कठिनाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु लगाये गये Lock down के प्रतिबंध के क्रम में बिहार के कई जिलों से सूचना प्राप्त हो रही है कि पशु/पक्षी तथा मछली के चारा/दाना तथा संबंधित कच्ची समाग्रियों इत्यादि के प्रवेश/आवागमन पर रोक लगाया जा रहा है, जबकि आवश्यक पशु/पक्षी तथा मछली के चारा/दाना के अवागमन पर बिहार सरकार द्वारा किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसके साथ-साथ सरकारी एवं निजी पशु चिकित्सालय, वेटनरी पॉथोलॉजिकल सेवा, पशुशला आदि के कार्य पर भी बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या- 40-3/2020-DM-I (A) दिनांक 25.03.2020 का संदर्भ भी किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि पशु/पक्षी तथा मछली के चारा/दाना तथा संबंधित कच्ची समाग्रियों इत्यादि के प्रवेश/आवागमन पर रोक नहीं लगाने का निदेश संबंधित को दिया जाये ताकि पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों तक उक्त समाग्री को असानी से पहुँचाया जा सके। साथ ही सरकारी एवं निजी पशु चिकित्सालय, वेटनरी पॉथोलॉजिकल सेवा, पशुशला आदि के कार्य पर भी रोक नहीं लगाया जाये।

विश्वासभाजन

सरकार के सचिव,
